क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष / फैक्स } 0535-2203482

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास, कालोनी, रायबरेली–229001 (उ.प्र.)

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

C-Block, Indira Nagar, Avas Vikas Colony, Rae Bareli - 229001 (U.P.)

संदर्भ संख्या/Ref. No. 1238/उ०प्र०प्र०नि०बो०/S/15-16 दिनांक/Date 15-2-16.

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि/रा0)

सुलतानपुर।

विषय–मै0 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0,द्वारा रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–614/एल0बी0सी0 दिनांक 21.12.2015 का ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मै0 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0,द्वारा श्री सर्वेश कुमार पुत्र ननकऊ निवासी ग्राम उमरी पो0 पौधन रामपुर त0 कादीपुर जनपद सुलतानपुर के गाटा सं0 278 एवं 280 स्थित ग्राम अयूबपुर परगना बरौंसा तहसील जयसिंहपुर पर पेट्रोल डीज़ल के रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीज़ल टैंक की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त वर्णित प्रोजेक्ट मै0 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0,द्वारा श्री सर्वेश कुमार पुत्र ननकऊ निवासी ग्राम उमरी पो0 पौधन रामपुर त0 कादीपुर जनपद सुलतानपुर के गाटा सं0 278 एवं 280 स्थित ग्राम अयूबपुर परगना बरौंसा तहसील जयसिंहपुर पर पेट्रोल /डीज़ल के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु नियमानुसार (सुरक्षा मानकों को दृष्टि से) सुरक्षित भूमिगत टैंक की स्थापना किये जाने की शर्त के साथ आप द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आख्या अन्य वाछिंत अनुमतियों को प्रभावित नहीं करेगा। पेट्रोल पम्प पर यदि जनरेटर की स्थापना की जाती है तो ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोज़र लगाया जाना अनिवार्य है एवं उकत हेतु बोर्ड से पृथक रूप से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

पृ0सं0 तद् दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5) उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)